विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/परीक्षा/2016/ 634 दिनांकः- 6/X/16

प्रति,

समस्त प्राचार्य,

विश्वविद्यालय परिक्षेत्र,

उज्जैन संभाग।

विषयः- **स्नातक एवं स्नातकोत्तर की सेमेस्टर परीक्षाओं के आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाईन को अग्रेषत एवं अनुमोदित कर हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय को भेजने बाबत्।**

यह पत्र अतिमहत्वपूर्ण है, कृपया इसे ध्यान से पढ़ें तथा इसमें दिये गये निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि उच्च शिक्ष विभाग के आदेश क्रमांक/189/11/आउशि/2011, दिनांक 6.9.2011 की कंडिका (ड) (1) के अंतर्गत स्नातक स्तर पर प्रवेशित विद्यार्थी को एटीकेटी के साथ इस पाठ्यक्रम में अधिकतम 05 वर्षों में पूर्ण करने का प्रावधान किया गया है तथा शासन के आदेश क्रमांक265/525/सीसी/2014 दिनांक 5.3.2014 के द्वारा स्नातक पांच वर्ष तथा स्नातकोत्तर तीन वर्ष में कोर्स पूर्ण न हो तो किसी भी विद्यार्थी को अंतिम सेमेस्टर में एटीकेटी मिले तो अवधि बीतने पर भी अंतिम सेमेस्टर की एटीकेटी में सम्मिलित होने का एक अवसर प्रदान किया जाये, का प्रावधान किये जाने हेतु विश्वविद्यालय को आदेशित भी किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के उक्त प्राप्त आदेश के संबंध में पूर्व में आपको विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक/परीक्षा/2015/657 दिनांक 18.01.2016 जारी कर शासन के निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया गया था।

3. प्रायः यह देखने में आ रहा है कि महाविद्यालयों द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर की सेमेस्टर परीक्षाओं के आवेदन पत्र एम. पी. ऑनलाईन को अग्रेषत एवं अनुमोदित कर हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय को भेजने के पूर्व राज्य शासन द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, जिसके कारण अपात्र छात्र-छात्राऐं भी परीक्षाओं में सम्मिलित हो जाते हैं।

4. अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि आगे भविष्य में राज्य शासन के निर्देशानुसार तथा विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के तहत नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए स्नातक एवं स्नातकोत्तर की सेमेस्टर परीक्षाओं के आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाईन को अग्रेषित एवं अनुमोदित कर हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय को भेजना सूनिश्चित करें। यदि आगे भविष्य में परीक्षा आवेदन अग्रेषित करने में नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी प्रकार की कोई गलती निकलती है तो उसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व संबंधित प्राचार्य का होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव